# कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

**वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in**

पत्रांक– 674 राँची, दिनांक 20–06–2018

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका।
वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, दुमका।

विषय :– **NGT कलकत्ता में दायर रामलखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरूद्ध OA-14/2014EZ से संबंधित दुमका वन प्रमण्डल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे0 वनभूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी आउटडोर स्टेडियम राजभवन तथा पुलिस उप–महानिरीक्षक आवास के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक 996 दिनांक 15.06.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 486 दिनांक 25.04.2018 द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्राप्त हुआ है, निराकरण की पूर्ण जाँच के क्रम में निम्नांकित कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई है :–

1. प्रस्ताव के साथ F.R.A. 2006 के तहत् उपायुक्त दुमका द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। साथ ही ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति संलग्न नहीं है।
2. पृच्छा संख्या 6 से संबंधित निराकरण अप्राप्त है।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के अभाव में प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करना संभव नहीं है, अतः अनुरोध है कि त्रुटियों का निराकरण अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

20.6.2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

20.6.18